

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैथल.....

किस्म मुकदमा नं० मोव नं० 175/22 दावा बनाम बजरंग सन 202

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/4/24	<p>साज PO साहब अन्य काम में/पीठिका/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थिति होने से अन्ततः पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 20/8/24 को पेश हुए</p>	
20/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु० के पत्रावली सुनवाई का आनिम आदेश दिया जाकर दिनांक 25/7/2024 को पेश है।</p>	
25/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता एवं पीठ वादी व पीठवादी अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। उनके न्यायालय में केक केक कर बार बार आवाज दिलावटि गई, परन्तु कोई भी न्यायालय समय तक उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण आदेश व नियम उक्त अन्तर्गत अयम प्रावरी व अयम पेशी में स्थगित किया जाता है। प्रकरण केसल स्टुगार होकर नम्बर लें कर है तथा उपर दारिजल है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी सैथल</p>	